संख्या – 1455 / चौबीस–पी–2–2018 / सा0(60) / 2018

प्रेषक,

अनूप चन्द्र पाण्डेय,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1–समस्त जिलाधिकारी,
उत्तर प्रदेश।

2–समस्त वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक / पुलिस अधीक्षक
उत्तर प्रदेश।

ऊर्जा अनुभाग–2

लखनऊ : दिनांक: 16 जुलाई, 2018

विषय : विद्युत चोरी की रोकथाम की कार्यवाही में तथा विद्युत आपूर्ति बनाये रखने में लगे विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की सुरक्षा तथा उनके विरूद्ध हुई मारपीट अथवा हिंसात्मक घटनाओं के मामलों में तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही कराये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय,

विद्युत चोरी की रोकथाम के सम्बन्ध में जनपद स्तर पर योजनाबद्ध तरीके से कार्यवाही सम्पन्न कराने और इस अभियान में लगे अधिकारियों एवं कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करने तथा उनके विरूद्ध मारपीट अथवा हिंसात्मक घटना की स्थिति में कार्यवाही करने के सम्बन्ध में शासनादेश संख्या–1010 / 24–पी–3–2018–बैठक –227 / 2015, दिनांक 11 मई, 2018 द्वारा विस्तृत निर्देश जारी किये गये थे।

2– प्रदेश के लगभग सभी स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए कार्यवाही प्रारम्भ की गई है जिसमें जिला प्रशासन से भी सहयोग मिल रहा है। कुछ स्थानों पर विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए की जा रही कार्यवाही के दौरान तथा विद्युत आपूर्ति में व्यवधान होने की स्थिति में विद्युत चोरी में लिप्त व्यक्तियों तथा अराजक तत्वों द्वारा विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों / कर्मचारी के साथ मारपीट / हिंसा की घटनाएं सूचित की गई हैं। ऐसे मामलों में जिला प्रशासन द्वारा तत्परता से प्रभावी कार्यवाही करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि विद्युत चोरी की रोकथाम के लिए चलाया गया अभियान सफलतापूर्वक संचालित होने और विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में कोई कठिनाई न आए। तत्परतापूर्वक प्रभावी कार्यवाही इसलिए भी आवश्यक है कि इससे जुड़े अधिकारियों व कर्मचारियों में सुरक्षा की भावना रहे और उनका मनोबल किसी प्रकार से कम न हो।

3– उपरोक्त को सुनिश्चित करने के लिए यह आवश्यक है कि विद्युत वितरण निगमों के अधिकारियों / कर्मचारियों के साथ मारपीट / हिंसा के प्रकरणों में तत्परतापूर्वक अभियोग पंजीकृत कराया जाना सुनिश्चित किया जाए जिसमें अपराध की गम्भीरता के अनुरूप कानून की धाराओं को लगाया जाए और उसके पश्चात् विधि के अनुसार अपराधियों के विरूद्ध प्रभावी कार्यवाही अमल में लाई जाए।

4– इस सम्बन्ध में यह विशेष रूप से उल्लेखनीय है कि भारतीय दण्ड संहिता की धारा–332, 333 तथा 353 में लोक सेवकों को क्षति / गम्भीर क्षति पहुँचाने अथवा उन पर हमला करने के अपराधों के सम्बन्ध में सम्यक दण्ड का प्राविधान है। इन धाराओं का गम्भीर प्रकरणों में उपयोग किया जाए। इन धाराओं में अपराध संज्ञेय एवं गैरजमानती है। भारतीय दण्ड संहिता की धारा–21 में यह भी प्राविधान है कि सरकारी कम्पनियों की सेवा में कार्यरत अधिकारी / कर्मचारी लोक सेवक की परिभाषा में आते हैं। सभी विद्युत वितरण निगम उत्तर प्रदेश सरकार की पूर्ण स्वामित्व की कम्पनी यू0पी0पी0सी0एल0 की पूर्णतया सब्सिडरी है।

(आलोक कुमार)
अध्यक्ष
उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लि0

5— उक्त के अतिरिक्त क्रिमिनल लॉ एमेण्डमेन्ट एक्ट 1932 की धारा–7 में भी किसी व्यक्ति को अपने कार्य से रोकने, डराने तथा धमकाने के लिए पर्याप्त प्राविधान उपलब्ध हैं जिनका उपयोग भी गम्भीरता के दृष्टिगत ऐसे प्रकरणों में किया जा सकता है।

6— यह भी उल्लेखनीय है कि नेशनल सिक्योरिटी एक्ट, 1980 के प्राविधानों का उपयोग पब्लिक आर्डर बनाए रखने के साथ–साथ आवश्यक वस्तुओं एवं सेवाओं को बनाए रखने के विरूद्ध कार्यवाही करने वाले व्यक्तियों के प्रकरणों में भी किया जा सकता है। विद्युत आपूर्ति बनाए रखना आवश्यक सेवाओं में सम्मिलित है अतः अत्यन्त गम्भीर प्रकरणों में इस कानून के प्राविधानों का भी उपयोग करने पर कृपया विचार कर लिया जाए।

7— यदि लोक सम्पत्ति को क्षति का प्रकरण हो तो लोक सम्पत्ति क्षति निवारण अधिनियम की धारा–3 एवं 4 (यथाप्रभावी) भी प्रयोग की जाए।

8— विद्युत चोरी की प्रभावी रोकथाम करना शासन की उच्च प्राथमिकताओं में सम्मिलित है। अतः कृपया विद्युत चोरी की रोकथाम करने अथवा विद्युत आपूर्ति बनाए रखने में लगे अधिकारियों/कर्मचारियों के साथ मारपीट अथवा हिंसा के प्रकरणों में जनपद स्तर पर नियमानुसार तत्परता से कठोर कार्यवाही सुनिश्चित की जाए और ऐसे प्रकरणों की गम्भीरता के दृष्टिगत वर्तमान कानूनों में उपलब्ध प्राविधानों का उपयोग सुनिश्चित किया जाए।

भवदीय,

(अनूप चन्द्र पाण्डेय)
मुख्य सचिव

संख्याः 1455(1)/चौबीस–पी–2–2018/सा0(60)/2018, तद्दिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही कराने के लिए प्रेषित :–

1– प्रमुख सचिव, गृह एवं गोपन, उ0प्र0 शासन।
2– अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लिमिटेड, शक्ति भवन, लखनऊ।
3– पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश।
4– समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
5– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
6– प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/ जल विद्युत निगम लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
7– प्रबन्ध निदेशक, पश्चिमांचल वि0वि0नि0लि0, मेरठ/पूर्वान्चल वि0वि0नि0लि0, वाराणसी/मध्यांचल वि0वि0नि0लि0, लखनऊ/ दक्षिणांचल वि0वि0नि0लि0, आगरा/ केस्को, कानपुर।
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आलोक कुमार)
प्रमुख सचिव